BIJNOR POLICE

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर

फरवरी – 2025

थाना साइबर क्राइम, जनपद बिजनौर द्वारा फरवरी - 2025 में 22 व्यक्तियों के साथ हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखा धडी में कुल 9,11,851/- रुपये वापस कराये गये

थाना साइबर क्राइम जनपद बिजनौर द्वारा निम्न शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरुप पीडितों के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर पीडितों द्वारा बिजनौर पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0स0	थाना	प्रा0पत्र सं0/ मु0अ0सं0	बरामद धनराशि	माध्यम
1	कोतवाली शहर	NCRP- 03904	13,630/-	यूपीआई
2	नगीना देहात	NCRP- 18445	10,000/-	यूपीआई
3	स्योहारा	NCRP- 08751	30,000/-	यूपीआई
4	कोतवाली शहर	NCRP- 11766	31,404/-	यूपीआई
5	धामपुर	NCRP- 40586	30,000/-	यूपीआई
6	स्योहारा	NCRP- 69221	30,000/-	यूपीआई
7	धामपुर	NCRP- 00937	12,590/-	यूपीआई
8	नजीबाबाद	NCRP- 51903	14,000/-	यूपीआई
9	शिवाला कलाँ	NCRP- 22408	18,000/-	यूपीआई
10	किरतपुर	NCRP- 04836	3,50,000/-	यूपीआई
11	धामपुर	NCRP- 53377	24,000/-	यूपीआई
12	धामपुर	NCRP- 00213	10,470/-	यूपीआई
13	कोतवाली शहर	NCRP- 36362	50,000/-	यूपीआई
14	चांदपुर	NCRP- 43210	38,003/-	आईएमपीएस
15	कोतवाली शहर	NCRP- 72762	2300/-	यूपीआई
16	कोतवाली शहर	NCRP- 54397	31,000/-	यूपीआई
17	हल्दौर	NCRP- 28622	33,397/-	यूपीआई
18	कोतवाली देहात	NCRP- 06425	93000/-	यूपीआई
19	कोतवाली देहात	NCRP- 17441	20000/-	यूपीआई
20	चांदपुर	NCRP- 27736	20000/-	यूपीआई
21	अफजलगढ़	NCRP- 36562	12000/-	यूपीआई
22	किरतपुर	NCRP- 88912	38,057/-	यूपीआई
कुल योग			**9,11,851/-**	

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 04.03.2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 70/25 धारा 64(1) बीएनएस धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 24.02.2025 को वादिया ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सलमान पुत्र मौ0 असगर निवासी मौहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया व फोटो/वीडियो खींच लिये गए, इसमे इसके अन्य साथियों द्वारा सहयोग किया गया । अभियुक्त सलमान द्वारा उक्त फोटो/वीडियो से ब्लैकमेल कर वादिया से नगदी व अन्य सामान ले लिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 70/25 धारा 123/70(2)/308(2) बीएनएस व धारा 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 123/70(2)/308(2) बीएनएस व धारा 5(g)/6 पॉक्सो एक्ट का लोप कर अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाहीः-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 70/25 धारा 64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र मौ0 असगर निवासी मौहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

सलमान पुत्र मौ0 असगर निवासी मौहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 11 गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 04.03.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने हत्या की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को मृतक का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त साइकिल, मृतक / अभियुक्त के जले हुए कपडों के अवशेष आदि सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.03.2025 को वादी श्री मोती मांझी पुत्र रामबली मांझी निवासी ग्राम कठार थाना शेरघाटी जनपद गया (बिहार) ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि वादी का मौसेरा भाई छोटू मांझी पुत्र डोमन मांझी निवासी ग्राम ताराडीह थाना रोशनगंज जनपद गया बिहार, कस्बा शेरकोट के मौहल्ला खुराडा चुंगी निवासी नत्थू सिंह सैनी पुत्र बनवारी सिंह के यहां गन्ना छिलाई का काम करता था।

दिनांक 20.02.2025 को सुबह करीब 09.00 बजे छोटू मांझी अपने गांव तारडीह बिहार जाने के लिये अपने कपडों का बैग लेकर निकला था, परंतु वह अपने घर नही पहुंचा था।

दिनांक 22.02.2025 को वादी के भाई का शव थाना धामपुर के ग्राम जैतरा के जंगल में रेलवे लाइन के पास झाडियों में पडा मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई की गला घोंटकर हत्या की गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 81/2025 धारा 103(1) / 238 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटने से होना पाया गया।

कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान शेरकोट से रेलवे स्टेशन, धामपुर तक सीसीटीवी फुटेज चेक की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक छोटू स्टेशन के सामने दुकान पर किसी अनजान साईकिल सवार व्यक्ति के साथ पैदल–पैदल रेलवे स्टेशन से तहसील फाटक की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। साक्ष्य संकलन के आधार पर मृतक के साथ पैदल जा रहे व्यक्ति की पहचान जितेन्द्र उर्फ जीतू सैनी पुत्र किशोरी सैनी निवासी ग्राम नगला गूंगा थाना धामपुर जनपद बिजनौर के रुप मे हुई।

थाना धामपुर पुलिस द्वारा जितेन्द्र उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 20.02.2025 को जितेन्द्र साईकिल से अपनी दुकान के लिये बीडी सिगरेट आदि सामान लेने हेतु रेलवे स्टेशन धामपुर के पास बाजार में गया था। दोपहर करीब 12.00 बजे स्टेशन के सामने सडक पर जितेन्द्र को बिहार का रहने वाला छोटू माँझी नामक व्यक्ति मिला था। बातचीत के दौरान दोनो का

आपस में परिचय हो गया तथा दोनो ने एक साथ बैठकर शराब का सेवन किया। शराब पीने के उपरान्त जितेन्द्र शराब के दो पाउच लेकर छोटे माँझी के साथ पैदल – पैदल अपनी साईकिल सहित रोडवेज की तरफ गया था और वहाँ से रेलवे फाटक पार करके रेलवे पटरी के पास से होते हुए स्टेशन की तरफ चल दिये थे। स्टेशन से पहले रेलवे पटरी के किनारे जितेन्द्र ने अपनी साईकिल खडी कर दी थी और छोटू माँझी ने उसी पर अपना बैग रख दिया था। दोनो नशे में थे और वहाँ से साईकिल और बैग को वहीं छोडकर पैदल-पैदल रेलवे पटरी पर चलकर जैतरा फाटक से आगे शुगर मिल की तरफ करीब 200 मीटर चलकर रेलवे लाईन की बगल में झाडियों में बैठकर फिर शराब पीने लगे थे। शराब खत्म होने पर जितेन्द्र ने छोटू माँझी से और शराब लाने के लिए पैसे मांगे थे तो छोटू मांझी ने पैसे के लिये मना कर दिया था। इसी बात पर दोनो का आपस में झगडा एवं मारपीट हुई। जितेन्द्र ने छोटू की जेब से जबरन पर्स निकालने की कोशिश की तो उसकी पन्ट ढीली होने के कारण उसकी पैन्ट और अंडरवीयर निकल गये थे, जिस पर जितेन्द्र व छोटू मांझी की आपस में गाली-गलौच हुई। इसी दौरान जितेन्द्र ने हाथों से छोटू का गला घोट दिया था, जिससे वह बेहोश हो गया और फिर पैन्ट से बेल्ट निकालकर छोटू का गला घोट दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

अभियुक्त जितेन्द्र ने छोटू का मोबाइल निकाल लिया और उसके शव को वही झाँडियो के पीछे छिपा दिया तथा साईकिल और उस पर रखा छोटू का बैग लेकर अपने घर लाकर छोटू माँझी के मोबाइल फोन से सिम निकाल लिया और छोटू माँझी का बैग, उसमें रखे कपडे तथा घटना के समय पहनी शर्ट व सिम को घर के पास रेलवे लाईन के किनारे गली में जला दिया था।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश मे आये अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू सैनी पुत्र किशोरी सैनी निवासी ग्राम नगला गूंगा थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त साइकिल, मृतक का मोबाइल फोन, मृतक द्वारा पहने कपडों के जले हुए अवशेष, अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने कपडों के अवशेष आदि बरामद किये गये। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जितेन्द्र उर्फ जीतू सैनी पुत्र किशोरी सैनी निवासी ग्राम नगला गूंगा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

1.मृतक का मोबाईल फोन

2.अभियुक्त की साईकिल

3.मृतक के पहने कपडो के जले हुए अवशेष

4.अभियुक्त के घटना के समय पहने हुए कपडो के अवशेष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 गोपाल सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 895 रणजीत मलिक थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 1045 पवन कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

5.कां0 12 अजयपाल थाना धामपुर जनपद बिजनौर